Indian Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM)
ISSN:
Website: https://www.economicsandcommerce.in/
Volume 1; Issue 1; January to March 2025; Page No. 14-17

बागवानी फसल किसान के लिए अतिरिक्त आय का साधन: एक अध्ययन

ओम प्रकाश सिंह
शोध छात्र
कामर्स विभाग
विक्रम विश्व विद्यालय
उज्जैन मध्य प्रदेश

बागवानी में फल, फूल, सब्जी और मसालों के पौधे और औषधीय पौधे शामिल होते हैं। इसमें पान की खेती मशरूम का उत्पादन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में औषधीय पौधे के उत्पादन के लिए हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। वनों के कटाव से औषधीय पौधे की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बहुत सी प्राचीन जड़ी बूटी विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। औषधीय पौधों से प्राप्त जड़ी बूटी भारत की पारंपरिक चिकित्सा का आधार रहे हैं। इन्ही औषधीय पौधे के उत्पादन, विकास और इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। यह योजना बागवानी विभाग के जिले और मंडल स्तर के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही ताकि औषधीय पौधे के घेरेलू उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही साथ निर्यात को बढ़ाया जा सके। यह योजना बाराबंकी, सोनभद्र, गाजीपुर, मथुरा, गोरखपुर, महाराजगंज, हरदोई, पीलीभीत, झांसी, हमरीपुर, बलिया, गोंडा, बलरामपुर बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, फैजाबाद एवम मुजफ्फरनगर में चलाई जा रही है।

मुख्य शब्द : **बागवानी फसल, किसान, अतिरिक्त आय**

उत्तर प्रदेश विविध जलवायु का प्रदेश है । यहां एक तरफ गर्मी अच्छी पड़ती है, लोगो के लिए घरों से निकलना दूरभर हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ हाड़ कपकपाने वाली ठंड भी पड़ती है। इन्ही मौसमी विविधता की वजह से फसलों में भी भरपूर विविधता है। प्रदेश की छोटी जोतों की बहुतायत बागवानी फसलों के लिहाज से उपयुक्त है।प्रदेश की लगभग 92 प्रतिशत जोत बागवानी के माध्यम से रोजगार और अतिरिक्त आय किसान को उपलब्ध कराने में सक्षम है। किसान के आय बढ़ाने और जीवन स्तर सुधार के मद्देनजर बागवानी एक महत्पूर्ण

विषय है। बागवानी में फल, फूल, सब्जी और मसालों के पौधे और औषधीय पौधे शामिल होते हैं। इसमें पान की खेती मशरूम का उत्पादन भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश में औषधीय पौधे के उत्पादन के लिए हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। वनों के कटाव से औषधीय पौधे की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बहुत सी प्राचीन जड़ी बूटी विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। औषधीय पौधों से प्राप्त जड़ी बूटी भारत की पारंपरिक चिकित्सा का आधार रहे हैं। इन्ही औषधीय पौधे के उत्पादन, विकास और इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। यह योजना बागवानी विभाग के जिले और मंडल स्तर के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही ताकि औषधीय पौधे के घेरेलू उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही साथ निर्यात को बढ़ाया जा सके।यह योजना बाराबंकी, सोनभद्र, गाजीपुर, मथुरा, गोरखपुर, महाराजगंज, हरदोई, पीलीभीत, झांसी, हमरीपुर, बलिया, गोंडा, बलरामपुर बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, फैजाबाद एवम मुजफ्फरनगर में चलाई जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी जमीन सड़क के किनारे हों और जिनके पास सिंचाई की सुविधा पर्याप्त हो।ताकि उत्पाद को आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इस योजना का लाभ लाभार्थी को केवल एक बार ही मिलता है। औषधीय पौधे के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। यह अनुदान सतवार के पौधे पर कुल फसल क्षेत्र के 20 प्रतिशत हिस्से का 20 प्रतिशत तथा सर्पगंधा की खेती पर कुल खेती के 20प्रतिशत हिस्से का 50 प्रतिशत है।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना फल पट्टी विकास योजना है।इस योजना के तहत सरकार फल पट्टी के विकास को बढ़ाव दे रही है। फलदार पौधों में आम, अमरूद और आंवला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तीन फल पट्टी घोषित किया है। आम फल पट्टी के अंतर्गत सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, प्रतापगढ़, अमरोहा, वाराणसी. लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, हरदोई, फैजाबाद, बाराबंकी जिले के 31 विकासखंड आते हैं।

अमरूद फल पट्टी के लिए कौशांबी और बदायूं के 6 विकासखंड शामिल हैं। आंवला फल पट्टी में प्रतापगढ़ के दो विकास खंड शामिल हैं। चयनित फल पट्टियों का विकास कर सरकार बागवानी को बढ़ाकर सरकार किसानों की आय को बढ़ाने का काम कर रही है। इस योजना में चयनित किसानों को क्षेत्र विस्तार, कैनोपी मैनेजमेंट, हार्वेस्टर, पैक हाउस निर्माण, एकीकृत कीट नाशी प्रबंधन, एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन, पावर स्प्रेयर आदि को सब्सिडी मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। कैनोपी प्रबंधन में शाखाओं और टहनियों की ट्रिमिंग के माध्यम से पेड़ के आकार को बदला जा सकता है। इस योजना में चयनित किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था है ताकि किसान बागवानी के नए तौर तरीकों से परिचित हो सकें।

बागवानी विभाग द्वारा चलाई जाने वाली तीसरी महत्वपूर्ण योजना है -एकीकृत बागवानी विकास मिशन या राष्टीय बागवानी विकास मिशन। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इस योजना के वित्त के पोषण में केंद्र का हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत है।यह योजना जिले के स्तर पर जिला अधिकारी की देखरेख में चलाई जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 45 जिलों को चिन्हित किया गया है जिनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, हमीरपुर, जालौन आदि पिछड़े जिले शामिल हैं। एकीकृत बागवानी मिशन में रोपण के लिए बीज का उत्पादन जिसमे शाकभाजी एवम मसाला बीज उत्पादन,रोगमुक्त सब्जी बीज उत्पादन, मशरूम प्रोत्साहन, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन एवम बागवानी में मशीनीकरण जैसे ट्रैक्टर और पावर टिलर के लिए अनुदान दिया जाता है। फलदार पेड़ों में आम, अमरूद, पपीता, नीबू, शरीफा, लीची तथा बेर और केला पापता आदि शामिल है। फूलों की खेती के लिए भी अनुदान दिया जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के एक घटक माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप का क्रियान्वयन प्रदेश में बागवानी विभाग ही करता है। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप एवम स्प्रिंकलर सिंचाई को सरकार प्रोत्साहन दे रही है।इस विधि को अपनाकर 40 से 50 प्रतिशत पानी की बचत होती है साथ ही 35 से 40 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि संभव है। यह सिंचाई योजना सभी बागवानी फसलों के लिए है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। इस योजना में लघु सीमांत कृषक को लागत 90 प्रतिशत तक अनुदान है और अन्य कृषकों के लिए यह प्रतिशत 80 प्रतिशत है।

पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना पान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रदेश में संचालित है। महोबा में पान का एक शोध केंद्र भी स्थापित है जहां उन्नतशील पान के उत्पादन के लिए शोध और प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना अभी रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, सीतापुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चल रही है।

उत्तर प्रदेश में विगत एक दशक में फल फूल और सब्जी उगाए जाने वाली भूमि का रकबा 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया है। यह इस बात का परिचायक है की बागवानी की दिशा में कारगर और सार्थक प्रयास किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बागवानी की ग्रास वैल्यू आउटपुट में 18 हजार करोड़ की वृद्धि हुई है। यह उत्तर प्रदेश में बागवानी की संभावना को दिखाता है। 2027 तक बागवानी फसलों का 11.6 प्रतिशत से

विस्तार करके 16 प्रतिशत तथा खाद्य प्रसंस्करण का दायरा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इस दिशा में कारगर प्रयास चल रहा है।

बागवानी में किसानों की आय बढ़ाने की संभावना छिपी हुई है क्योंकि फल, फूल, सब्जी, जड़ी बूटी आदि चीजे फसल की तुलना में महंगे दामों पर बिकती हैं। बागवानी कृषि का विविधिकरण करके कृषि को आर्थिक नजरिए से और अधिक कुशल भी बनाती है।

संदर्भिका

साईनाथ, पी, *तीसरी फसल,* Penguin 2023

वर्मा, हरि विलास, *बागवानी*, Book world , Dehradun 2013

पंकज, नौटियाल, *सेब में उन्नत बागवानी प्रबन्धन*, Rythu Nestam, July 2024